

Home >> Division >> Industrial Relations >> Industrial Tripartite Committees
मुखपृष्ठ >> विभाग >> औद्योगिक संबंध >> औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियाँ

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 22 फरवरी, 2012

संख्या-एल-51013/3/2011-आईआर (पीजी)

सेवा में,

1. वस्त्र मंत्रालय/वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)/वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)।
2. राज्य सरकारें (आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल)।
3. नियोक्ताओं और मजदूरों के संगठन

विषय: सूती वस्त्र उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का पुनर्गठन।

महोदय,

सूती वस्त्र उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के (इस मंत्रालय के संचार संख्या L-51013/3/2009-IR (PG) दिनांक 07.09.2009 द्वारा) पिछले गठन के अतिक्रमण में, तत्काल प्रभाव से सूती वस्त्र उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:

सभापति

श्रम और रोजगार मंत्रालय

उप-सभापति

सचिव (श्रम और रोजगार)

(I) सरकार

(क) केन्द्रीय सरकार

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय

2. वस्त्र मंत्रालय
3. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(ख) राज्य सरकारें

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

(ग) नियोक्ता

(i) भारतीय नियोक्ताओं की परिषद्	2 सीटें
(ii) अखिल भारतीय निर्माताओं के संगठन	1 सीट
(iii) भारतीय उद्योग परिसंघ	1 सीट
(iv) लघु उद्योग भारती	1 सीट
(v) इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन	1 सीट
(vi) सहकारी कताई मिलों के अखिल भारतीय महासंघ	1 सीट
कुल	7 सीटें

(घ) मजदूर

(i) भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)	2 सीटें
(ii) श्रम प्रगतिशील महासंघ	2 सीटें
(iii) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए.आई.टी.यू.सी.)	1 सीट
(iv) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)	1 सीट
(v) भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)	1 सीट

कुल

7 सीटें

2. सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए अपने साथ एक सलाहकार ला सकते हैं। सलाहकार को बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रालय द्वारा टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. सामान्य रूप से औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के कार्य-पक्षों के बीच समस्याओं की एक बेहतर समझ लाने, समस्याओं का समाधान करने में सलाह देने और एक आम सहमति तक

पहुँचने के उद्देश्य से उन समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर चर्चा करना है, जो संबंधित उद्योग के लिए विशेष हैं।

4. जब भी आवश्यक विचार किया जाता है समिति की बैठक होगी।

आपका भवदीय

(वी. अशोक)

उप-निदेशक

दूरभाष सं. 23766939